


परिपत्र संख्या-स0का01/विधि-4033/2006-564/

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग



श्री अशोक कुमार चौहान,
सरकार के सचिव।

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 04 जुलाई, 2006.

विषय: मंत्री/राज्य मंत्री के कार्यालय कक्ष के सुलभता के लिये सानक का निर्धारण।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-425 दिनांक-6 सितम्बर, 1997 में
आशोक संशोधन करते हुए अनुमान्य सामग्रियों की सूची में निम्नलिखित उपकरणों को शामिल किया
जा रहा है :-

- i. कम्प्यूटर - 1 (एक अंश)
- ii. प्रिंटर - 1 (एक अंश)
- iii. फैक्स मशीन - 1 (एक अंश)

2. उपर्युक्त तीनों उपकरण मंत्री/राज्यमंत्री की अनुमान्यताओं के अनुसार उनके कार्यालय अथवा
आवासीय कार्यालय में लगाये जा सकेंगे।

3. परन्तु मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में

- i. कम्प्यूटर - 1 (एक अंश)
- ii. प्रिंटर - 1 (एक अंश)
- iii. फैक्स मशीन - 1 (एक अंश)

अलग से अनुमान्य होंगे।


4. इस पर व्यय होनेवाली राशि पत्रांक-425 दिनांक-6 सितम्बर, 1997 के परिपत्र की
कॉपी का-1 में निर्धारित राशि से अतिरिक्त होगी।

5. मंत्री का स्थापना विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मुख्य शीर्ष "2013-मंत्रिपरिषद्"
के अंतर्गत स्वीकृत बजट उपबंध के कार्यालय व्यय मद से उपर्युक्त उपकरण पर होने वाले व्यय
का वहन करेगा। यदि संबंधित विभाग में राशि उपलब्ध नहीं हो तो वित्त विभाग से राशि उपलब्ध
करण का अनुरोध करेंगे।

6. अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

7. पत्रित विभाग, बिहार, पटना की सहमति ली गयी है।

विश्वासभाजन,


(अशोक कुमार चौहान)
सरकार के सचिव।